

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1246/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24
प्रति,

रीवा, दिनांक 19/04/24

मे0 देव कान्सट्रक्शन कंपनी,
ग्राम लैन, पो0 बधरा (सेमरिया)
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9826554343

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 21/20-21, कार्यादेश क्र0 2136/दिनांक 28.10.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2091/दिनांक 16.09.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1384/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1469/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1697/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1881/दिनांक 22.06.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 21/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम मौहरा एवं तिघरा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 27.04.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

1247
पू0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड रीवा की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1248 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 ओंकार प्रसाद शुक्ला,
ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह (सिरमौर)
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9425329915

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 71/20-21, कार्यादेश क्र0 2331/दिनांक 13.10.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2777/दिनांक 16.12.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1392/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1473/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1705/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1889/दिनांक 22.06.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 71/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम बगदादुबे में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 12.07.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रूचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1249
पृ0क्रमांक / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड रीवा की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1250/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24
प्रति,

रीवा, दिनांक 19/04/24

मे0 ओंकार प्रसाद शुक्ला,
ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह (सिरमौर)
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9425329915

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क0 79/21-22, कार्यादेश क0 2656/दिनांक 18.11.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क0 2845/दिनांक 23.12.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क0 1394/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क0 1474/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क0 1707/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क0 1891/दिनांक 22.06.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क0 79/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम चचाई में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 17.08.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1257

पृ0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~बिबि~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1252/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24

रीवा, दिनांक

19/04/24

प्रति,

मे0 बृजेश कुमार त्रिपाठी,
ग्राम पो0 बुसौल (सेमरिया)
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 6260698576

विषय :-

कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:-

1. अनुबन्ध क्र0 40/20-21, कार्यादेश क्र0 2565/दिनांक 21.12.2020
2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2563/दिनांक 24.11.2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1400/दिनांक 24.05.2023
4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1477/दिनांक 31.05.2023
5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1713/दिनांक 13.06.2023
6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1897/दिनांक 22.06.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 40/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम देवरी एवं चकदही में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 20.06.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पृ0क्रमांक

1253

/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1254/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 शीवेन्द्र कुमार तिवारी,
सुन्दर नगर, बोदाबाग, रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9806039080

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 63/21-22, कार्यादेश क्र0 2065/दिनांक 10.09.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2772/दिनांक 16.12.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1386/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1470/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1699/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1883/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3522/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 63/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम हरदुआ, रगौली, बधरा, खड्डा एवं डेल्ही में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 08.03.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

पृ0क्रमांक 1255 /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड रीवा की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1256 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 संजय कुमार राय,
बरा, खरौनी, भोजपुर,
जिला भोजपुर, आरा (बिहार)
मोबा. 7488117791

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 76/21-22, कार्यादेश क्र0 2397/दिनांक 27.10.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2807/दिनांक 19.12.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1388/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1471/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1701/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1885/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3524/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 76/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम पल्हान, शाहपुर वृत्त एवं बड़ागाँव में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयवधि नियत थी जो कि दिनांक 26.07.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1257
पृ0क्रमांक / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा सपडल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~सपडल~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

JAM
कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

JAM
कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1258/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 अभिषेक सिंह,
क्लब रोड, आरा (बिहार) 802301
मोबा. 7903954760

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 132/21-22, कार्यादेश क्र0 438/दिनांक 21.02.2022
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1390/दिनांक 14.05.2023
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1472/दिनांक 31.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1703/दिनांक 13.06.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1887/दिनांक 22.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3526/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 132/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम झलवार, अटरिया एवं बीड़ा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 20.11.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

पृ0क्रमांक 1259/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा सुण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~सिन्धु~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1260/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 के0डी0एस0 कान्स0,
11/293 बजरंग नगर, रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9425824552

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 125/21-22, कार्यादेश क्र0 338/दिनांक 07.02.2022
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 660/दिनांक 15.03.2023
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1396/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1475/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1709/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1893/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3540/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 125/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम दुलहरा, राजगढ़, खैरहन में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 07.11.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1261

पू0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~सिद्धपुर~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1263/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24

रीवा, दिनांक 19/09/24

प्रति,

मे0 के0डी0एस0 कान्स0,
11/293 बजरंग नगर, रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9425824552

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 126/21-22, कार्यादेश क्र0 338/दिनांक 07.02.2022
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 656/दिनांक 15.03.2023
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1398/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1476/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1711/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1895/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3542/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 126/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम बरौं, पथरी, तिलखन में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 07.11.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1269
पृ0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा सुपुडल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/09/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1265/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 आशीष कुमार मिश्रा,
ग्राम कटांगी, पो0 लूक,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 42/22-23, कार्यादेश क्र0 2232/दिनांक 07.10.2022
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3534/दिनांक 29.12.23

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 42/22-23 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम जामू, हटवा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 06.04.2023 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पृ0क्रमांक 1266/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1267 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रति,

रीवा, दिनांक 19/04/24

मे0 श्रीराम सिंह
ग्राम पो0 हरदुआ (सेमरिया)
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9993872972

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 22/20-21, कार्यादेश क्र0 2165/दिनांक 03.11.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2092/दिनांक 16.09.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1402/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1478/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1715/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1899/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3538/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 22/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर के ग्राम कपसा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 02.05.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1268
पू0क्रमांक / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1269 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 शिवपूजन सिंह,
ग्राम पो0 मझिगवों (सिरमौर)
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9131970775

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 30/20-21, कार्यादेश क्र0 2370/दिनांक 25.11.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3536/दिनांक 29.12.23

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 30/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा .के ग्राम खोहा, कल्याणपुर, कंचनपुर में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 25.05.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पृ0क्रमांक 1270 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा सण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1271 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 दीपराज सिंह,
संविदाकार,
रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9691785930

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 05/21-22, कार्यादेश क्र0 896/दिनांक 15.04.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3530/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 05/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा.के ग्राम जवा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 15.10.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1272
पृ0क्रमांक / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा सुण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1273/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 दीपराज सिंह,
संविदाकार,
रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9691785930

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 03/22-23, कार्यादेश क्र0 1150/दिनांक 10.05.2022
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3528/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 03/22-23 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा.के ग्राम रघुनाथपुर (दोंदर), रघुनाथपुर (केचुहा) में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 09.02.2023 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पृ0क्रमांक 1274 /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~जबलपुर~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1275/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 अनुशुका कान्स0 एण्ड अदर्स,
ग्राम कटांगी, पो0 लूक,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:- 1. अनुबन्ध क्र0 04/22-23, कार्यादेश क्र0 1199/दिनांक 19.05.2022
2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3532/दिनांक 29.12.23

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 04/22-23 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा.के ग्राम रिमारी में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 18.11.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1276
पृ0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा माण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा, (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1277/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0. आशीष कुमार मिश्रा,
ग्राम कटांगी, पो0 लूक,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 35/20-21, कार्यादेश क्र0 2444/दिनांक 05.12.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2274/दिनांक 13.10.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1404/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1475/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1717/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1901/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3506/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 35/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा के ग्राम दौंदर में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 04.06.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1278
पृ0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड रीवा की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1289 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 आशीष कुमार मिश्रा,
ग्राम कटांगी, पो0 लूक,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 36/20-21, कार्यादेश क्र0 2447 / दिनांक 05.12.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2275 / दिनांक 13.10.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1406 / दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1480 / दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1719 / दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1903 / दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3508 / दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 36/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा के ग्राम सोहावलकला में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 04.06.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पृ0क्रमांक 1286 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~जबलपुर~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक 128 / लेखा / का०यं० / लो०स्वा०यं० / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे० शीवेन्द्र कुमार तिवारी,
सुन्दर नगर, रीवा
जिला रीवा (म०प्र०)
मोबा. 9806089480

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र० 27/20-21, कार्यादेश क्र० 2311/दिनांक 23.11.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र० 2093/दिनांक 16.09.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1408/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1481/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1721/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1905/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र० 3510/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र० 27/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा के ग्राम गेंदुरहा, दरहा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 23.05.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पृ०क्रमांक 1282 / लेखा / का०यं० / लो०स्वा०यं० / 24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड रीवा की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म०प्र०)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म०प्र०)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1283 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 शीवेन्द्र कुमार तिवारी,
सुन्दर नगर, रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9806089480

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 26/20-21, कार्यादेश क्र0 2308/दिनांक 23.11.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 82/दिनांक 11.01.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1410/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1482/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1723/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1907/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3512/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 26/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा के ग्राम गुढ़, दरहा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 22.05.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

1284
पू0क्रमांक / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यं0 / 24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 19/04/24

क्रमांक 1285/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

प्रति,

मे0 अनुष्का कान्स0 एण्ड अदर्स,
ग्राम कटांगी, पो0 लूक,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 47/21-22, कार्यादेश क्र0 1519/दिनांक 13.07.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2768/दिनांक 16.12.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1412/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1483/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1725/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1909/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3514/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 47/20-21 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा .के ग्राम कल्याणपुर-55, जनकहाई कला में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 12.04.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पृ0क्रमांक 1286/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1287 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यॉ0 / 24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 अनुष्का कान्स0 एण्ड अदर्स,
ग्राम कटांगी, पो0 लूक,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 88/21-22, कार्यादेश क्र0 2955/दिनांक 29.12.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2875/दिनांक 30.11.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1418/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1484/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1727/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1911/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3516/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 88/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा के ग्राम बौसड़, पनवारकला, लूक, नगमा में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 28.09.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पू0क्रमांक 1288 / लेखा / का0यं0 / लो0स्वा0यॉ0 / 24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1289/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 जयश्री कान्सट्रक्शन,
ग्राम आजादपुर (गोबरा),
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9425329915

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 73/21-22, कार्यादेश क्र0 2353/दिनांक 22.10.2021
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 2778/दिनांक 16.12.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 658/दिनांक 15.03.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1414/दिनांक 24.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1485/दिनांक 31.05.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1729/दिनांक 13.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1913/दिनांक 22.06.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 73/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा .के ग्राम बरौली ठकुरान, डोडो, पैरा एवं खम्हरिया में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 21.07.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

1290
पृ0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड ~~रीवा~~ की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1291/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 दिलीप कुमार पाण्डेय,
1335/2 वार्ड-4, सिरमौर,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 9425357446

विषय :- कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

- संदर्भ:-
1. अनुबन्ध क्र0 133/21-22, कार्यादेश क्र0 440/दिनांक 21.02.2022
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 654/दिनांक 15.03.2023
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1416/दिनांक 24.05.2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1486/दिनांक 31.05.2023
 5. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1731/दिनांक 13.06.2023
 6. इस कार्यालय का पत्र क्र0 1315/दिनांक 22.06.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3520/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 133/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड जवा के ग्राम चौर में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 20.11.2022 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

पु0क्रमांक 1292/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड सिरमौर की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)
रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1325/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 आशीष कुमार मिश्रा,
ग्राम कटांगी, पो0 लूक,
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :-

कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:-

1. अनुबन्ध क्र0 01/23-24, कार्यादेश क्र0 872/दिनांक 10.04.2023
2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3544/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 01/23-24 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड गंगेव के ग्राम अमहा, लौरी नं01 एवं चौरी में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 09.10.2023 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 19/04/24

पृ0क्रमांक 1326 /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यं0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड गंगेव की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1327/लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे0 शीवेन्द्र कुमार तिवारी,
सुन्दर नगर, बोदाबाग, रीवा
जिला रीवा (म0प्र0)
मोबा. 7987947495

विषय :-

कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:-

1. अनुबन्ध क्र0 12/22-23, कार्यादेश क्र0 1346/दिनांक 27.05.2022
2. इस कार्यालय का पत्र क्र0 3546/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र0 12/22-23 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड गंगेव .के ग्राम करारी, पटना, मौहरिया कोठार-486 में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 26.02.2023 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1328

पृ0क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड गंगेव की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

हुए

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,

लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,

रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक 1329/लेखा/का०यं०/लो०स्वा०यं०/24

रीवा, दिनांक

19/04/24

प्रति,

मे० शीवेन्द्र कुमार तिवारी,
सुन्दर नगर, बोदाबाग, रीवा
जिला रीवा (म०प्र०)
मोबा. 7987947495

विषय :-

कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:-

1. अनुबन्ध क्र० 13/22-23, कार्यदेश क्र० 1348/दिनांक 27.05.2022
2. इस कार्यालय का पत्र क्र० 3548/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र० 13/22-23 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड गंगेव के ग्राम **मौहरिया कोठार-485, सोनवर्षा एवं मदरी** में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यदेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 26.02.2023 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म०प्र०)
रीवा, दिनांक 19/04/24

पृ०क्रमांक 1330 /लेखा/का०यं०/लो०स्वा०यं०/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड मंमेव की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म०प्र०)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक 1331/लेखा/का०यं०/लो०स्वा०यं०/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति

मे० दीपराज सिंह,
ग्राम अकौरी, पो० रामपुर,
जिला रीवा (म०प्र०)
मोबा. 9691785930

विषय :-

कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:-

1. अनुबन्ध क्र० 08/22-23, कार्यादेश क्र० 1295/दिनांक 24.05.2022
2. इस कार्यालय का पत्र क्र० 3550/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र० 08/22-23 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड गंगेव के ग्राम टिकुरी-37, तेंदुआ कोठार एवं परासी में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 09 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 23.02.2023 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म०प्र०)

रीवा, दिनांक 19/04/24

पृ०क्रमांक 1332 /लेखा/का०यं०/लो०स्वा०यं०/24
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड हुजूर की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म०प्र०)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय खण्ड, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक 1333/लेखा/का०यं०/लो०स्वा०यो०/24

रीवा, दिनांक 19/04/24

प्रति,

मे० अस्पाकरल इंफ्रा इंजीनियरिंग प्रा०लि०,
(प्रोप० श्याम किशोर द्विवेदी)
चाणक्य नगर, पी.टी.एस. चौक, रीवा
जिला रीवा (म०प्र०)
मोबा. 9229062150

विषय :-

कार्य में विलम्ब के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:-

1. अनुबन्ध क्र० 18/21-22, कार्यादेश क्र० 1186/दिनांक 01.06.2021
2. इस कार्यालय का पत्र क्र० 2599/दिनांक 30.11.2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1350/दिनांक 24.05.2023
4. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1495/दिनांक 31.05.2023
5. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1683/दिनांक 13.06.2023
6. इस कार्यालय का पत्र क्र० 1867/दिनांक 22.06.2023
7. इस कार्यालय का पत्र क्र० 3572/दिनांक 29.12.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध क्र० 18/21-22 के तहत आपको जल जीवन मिशन अन्तर्गत विकासखण्ड गंगेव के ग्राम रघुनाथगंज में नल जल योजना का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंधित कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह की समयावधि नियत थी जो कि दिनांक 30.11.2021 को समाप्त हो चुकी है। किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु निरन्तर लेख किया गया। किन्तु आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा कार्य करने में रुचि ली जा रही है। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्रगति की लगातार उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

आपके द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध के Section-03 Condition of Contract की कंडिका 27.2 की उप कंडिका (a) के अनुसार Engineer in Charge shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor (a) abandons the works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract. के तहत आपका कृत्य उपरोक्त कंडिका 27.2 की उपकंडिका (a) का उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध बिखण्डन की कार्यवाही की जावेगी तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधान अनुसार आपकी जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए आपकी फर्म को काली सूची में डालने हेतु उच्च कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

1334

पृ०क्रमांक /लेखा/का०यं०/लो०स्वा०यो०/24

प्रतिलिपि :-

01. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग, रीवा मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी उपखण्ड हुजूर की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,

रीवा (म०प्र०)

रीवा, दिनांक 19/04/24

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड,
रीवा (म०प्र०)